प्रेस नोट दिनाँक-08.06.2022

(1). दिनाँक-07.06.2022 को शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के निर्देशन में क्षेत्राधिकारीगण महोदय के नेतृत्व में थाना/चौकी प्रभारियों द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया तथा संदिग्ध व्यक्ति/वाहनों एवं शराब की दुकानों की चेकिंग की गयी। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओं एवं क्षेत्रीय नागरिकों से वार्ता कर सुरक्षा का एहसास कराया गया।

(2). दिनांक 08.06.2022 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के कुशल निर्देशन में महिलाओं एवं बालिकाओं में सुरक्षा एवं विश्वास का वातावरण बनाये रखने के उद्देश्य से चलाये जा रहे अभियान "मिशन शक्ति" के तहत जनपद के विभिन्न थानों की एण्टी रोमियो टीमों ने बाजार, बस स्टैण्ड, ग्रामों इत्यादि स्थानों पर भ्रमण कर चेकिंग की गयी एवं छात्राओं/महिलाओं को उनके सुरक्षार्थ व सहायता हेतु शासन द्वारा चलायी जा रही विभिन्न हेल्पलाइन नम्बरों जैसेः- 1090-वीमेन पॉवर लाइन, 181-महिला हेल्प लाइन, 108-एम्बुलेंस सेवा, 1076-मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, 112-पुलिस आपातकालीन सेवा, 1098-चाइल्ड लाइन्न, 102-स्वास्थ्य सेवा तथा थानो पर स्थापित महिला हेल्प डेस्क के बारे में विस्तार से जानकारी देकर उन्हे जागरूक किया गया तथा महिलाओं/बालिकाओं को।जागरूकता पम्पलेट्स वितरित किये गए एवं सार्वजनिक स्थानों एवं चस्पा किये गए।

(3). आज दिनाँक 08.06.2022 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद चित्रकूट श्री अतुल शर्मा द्वारा पुलिस कार्यालय में आये हुये फरियादियों की शिकायतों को सुना गया तथा उनके त्वरित निस्तारण हेतु सम्बन्धित प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष को निर्देशित किया गया।

(4). आज दिनांक 08/06/2022 को सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के निर्देशन में परिवहन विभाग एवं यातायात विभाग की संयुक्त टीम द्वारा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) शिवरामपुर में यातायात जागरूकता संबंधी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसमें प्रशिक्षु छात्र/छात्राओं ने लघु नाटिका के माध्यम एवं भाषण प्रतियोगिता के माध्यम से विद्यालय के समस्त छात्रों को जागरूक किया। साथ ही साथ समस्त छात्र छात्राओं को यातायात जागरूकता संबंधी हैंडबिल वितरित किया गया। इस मौके पर परिवहन विभाग के आरआई श्री गुलाबचंद यातायात पुलिस की टीम टीएसआई श्री धर्मेश त्रिपाठी, टीएसआई श्री तैयब खान एवं समस्त यातायात स्टॉफ उपस्थित रहे।

(5). श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद चित्रकूट श्री अतुल शर्मा द्वारा माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे मुकदमों में सघन पैरवी करवा कर अपराधियों को सजा दिलाने के उद्देश्य से नियमित रुप से गवाहों को पेश कराने हेतु दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक थाना रैपुरा श्री नागेन्द्र कुमार नागर एवं पैरोकार आरक्षी धनेश मिश्रा द्वारा चिह्नित मुकदमें में कड़ी मेहनत कर समय से गवाहों की पेशी करायी गयी। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता श्री गोपालदास द्वारा प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस की गयी, जिसके परिणामस्वरूप दिनाँक 08.06.2022 को माननीय ए0डी0जे0(एफटीसी) श्री सत्येन्द्र प्रकाश पाण्डेय महोदय द्वारा थाना रैपुरा में पंजीकृत मु0अ0सं0 55/2016 धारा 498ए/304बी0 भादवि0 व 3/4 द0प्र0 अधिनियम के आरोपी अभियुक्त रामेश्वर केशरवानी पुत्र श्री रमाशंकर निवासी भौरी थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट को 10 वर्ष का कठोर कारावास व 10000/- रूपये का अर्थदण्ड तथा अभियुक्तगण (1) रमाशंकर पुत्र छोटेलाल (2) अंकित पुत्र रमाशंकर (3) श्रीमती शिवकुमारी पत्नी रमाशंकर निवासीगण भौंरी थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट को 07 वर्ष के कठोर कारावास व 10 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

(5). श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद चित्रकूट श्री अतुल शर्मा द्वारा माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे मुकदमों में सघन पैरवी करवा कर अपराधियों को सजा दिलाने के उद्देश्य से नियमित रुप से गवाहों को पेश कराने हेतु दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक थाना रैपुरा श्री नागेन्द्र कुमार नागर एवं पैरोकार आरक्षी धनेश मिश्रा द्वारा चिह्वित मुकदमें में कड़ी मेहनत कर समय से गवाहों की पेशी करायी गयी। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता श्री गोपालदास द्वारा प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस की गयी, जिसके परिणामस्वरूप दिनाँक 08.06.2022 को माननीय ए0डी0जे0(एफटीसी) श्री सत्येन्द्र प्रकाश पाण्डेय महोदय द्वारा थाना रैपुरा में पंजीकृत मु0अ0सं0 55/2016 धारा 498ए/304बी0 भादवि0 व 3/4 द0प्र0 अधिनियम के आरोपी अभियुक्त रामेश्वर केशरवानी पुत्र श्री रमाशंकर निवासी भौरी थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट को 10 वर्ष का कठोर कारावास व 10000/- रूपये का अर्थदण्ड तथा अभियुक्तगण (1) रमाशंकर पुत्र छोटेलाल (2) अंकित पुत्र रमाशंकर (3) श्रीमती शिवकुमारी पत्नी रमाशंकर निवासीगण भौंरी थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट को 07 वर्ष के कठोर कारावास व 10 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।